Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक एवं वैचारिक महत्व

: प्रस्तुत कर्ता:
सुरेशभाई सवसीभाई सोलंकी (पीएच.डी शोधार्थी)
:पत्राचार का पता:
मु.शेरा,पो.रविया, तहसील:धानेरा, जिला:बनासकांठा, पिनकोड : 385310
मोबाईल नंबर : 9727097443, Email : sureshsss443@gmail.com

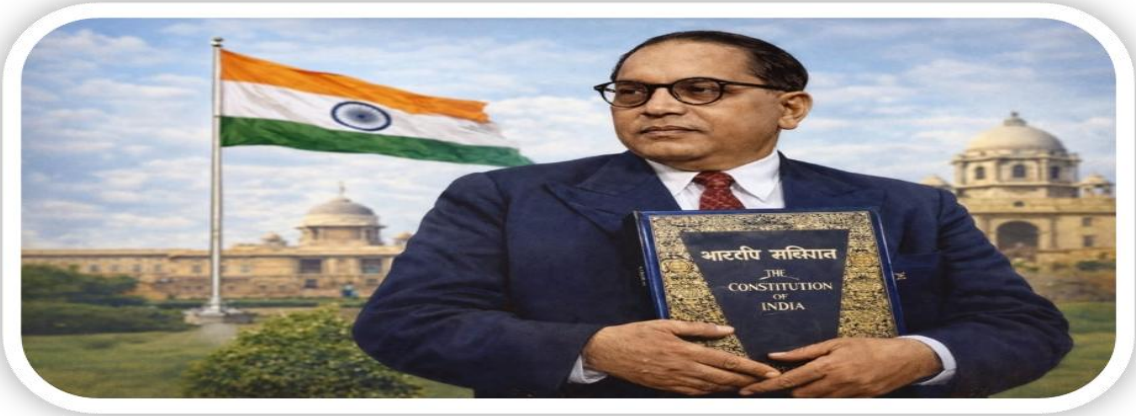

सारांश

यह शोधपत्र भारतीय संविधान के निर्माण, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूलभूत विशेषताओं तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार-दर्शन का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के प्रयासों के फलस्वरूप संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसमें विभिन्न वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संविधान सभा ने व्यापक विमर्श और विश्व के प्रमुख संविधानों के अध्ययन के बाद लगभग तीन वर्षों में भारतीय संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 से लागू कर भारत को प्रजासत्ताक राष्ट्र घोषित किया गया।भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक प्रभावों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैदिक काल की सभा–समिति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक परंपराओं ने शासन और न्याय की अवधारणाओं को सुदृढ़ किया। मध्यकालीन भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समानता, सहिष्णुता और मानवतावादी मूल्यों को बल

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

दिया। ब्रिटिश काल के विभिन्न संवैधानिक अधिनियमों, विशेषतः भारत शासन अधिनियम 1935, ने आधुनिक संवैधानिक ढांचे की नींव रखी।संविधान का आमुख उसके उद्देश्यों और आदर्शों को अभिव्यक्त करता है, जिसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों में लिखित एवं विस्तृत स्वरूप, एकल नागरिकता, मजबूत केंद्र वाला संघीय ढांचा, आपातकालीन प्रावधान, द्विसदनीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संशोधन प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं।डॉ. अंबेडकर के विचारों में संविधान सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन-पद्धति मानते हुए कानून के शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा कमजोर और वंचित वर्गों के संरक्षण पर बल दिया। इस प्रकार भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समता और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का एक जीवंत दस्तावेज है।

कुंजी शब्द:
भारतीय संविधान,आमुख,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय,डॉ. भीमराव

प्रस्तावना

स्वतंत्रता से पूर्व 25 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन सदस्यों वाले कैबिनेट मिशन को भारत की स्वतंत्रता का समाधान खोजने का दायित्व सौंपा गया। इस मिशन ने संविधान के निर्माण से संबंधित ढाँचा तैयार करने के उद्देश्य से संविधान सभा की स्थापना की।संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें विभिन्न समुदायों, धर्मों, जातियों, लिंगों तथा भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल थे। प्रमुख सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, एच. पी. मोदी, एच. वी. कामथ, फ्रैंक एंथनी, कनैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर, बलदेव सिंह आदि सम्मिलित थे। महिला प्रतिनिधियों में सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित आदि प्रमुख थीं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। इसने दो वर्ष, ग्यारह माह और अठारह दिनों की अवधि में कुल 166 बैठकों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण किया। इस प्रक्रिया के दौरान विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

प्रमुख लक्षणों का अध्ययन किया गया तथा विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के r संविधान को अंतिम रूप दिया गया।

प्रारंभ में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को सर्वसम्मति से पारित कर विधिक स्वरूप प्रदान किया गया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ और भारत को प्रजासत्ताक राष्ट्र घोषित किया गया। इसी कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं।भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत, सरकार के विभिन्न अंगों और उनके कार्य, प्रशासनिक निर्देश तथा न्यायपालिका की व्यवस्था जैसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसी कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा, विस्तृत और विस्तृत रूप से लिखित संविधान माना जाता है।

2.भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

2.1 प्राचीन एवं मध्यकालीन प्रभाव

भारतीय राजनीतिक विचारधारा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल से मानी जाती है। वैदिक युग में विकसित ऋग्वैदिक सभाओं, सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक निर्णय-प्रणाली का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में वर्णित प्रशासनिक सिद्धांतों ने शासन, विधि और उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी प्रकार बौद्ध संघों में अपनाई गई लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली ने सहभागिता और अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित किया। इन सभी परंपराओं ने शासन व्यवस्था, न्याय और कर्तव्यबोध की अवधारणाओं को सुदृढ़ आधार प्रदान किया।

मध्यकाल में विकसित भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज में समानता, सहिष्णुता और मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा दिया। इन विचारधाराओं ने सामाजिक समरसता को मजबूत किया, जिससे आगे चलकर भारतीय संविधान में निहित नैतिक और मानवीय मूल्यों को वैचारिक आधार प्राप्त हुआ।

2.2 औपनिवेशिक काल और संवैधानिक विकास

ब्रिटिश शासन काल में लागू किए गए विभिन्न संवैधानिक अधिनियमों ने भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया को दिशा प्रदान की। इनमें रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773, भारत शासन

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

अधिनियम, 1858, भारतीय परिषद अधिनियम, 1909, भारत शासन अधिनियम, 1919 तथा भारत शासन अधिनियम, 1935 प्रमुख हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से प्रशासनिक सुधार, प्रतिनिधित्व और शासन व्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन किए गए।

विशेष रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे, प्रांतीय स्वायत्तता तथा प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की संरचना में निर्णायक सिद्ध हुआ।

3.आमुख:

आमुख संविधान का प्रारंभिक और विशिष्ट रूप है। संविधान की शुरुआत इसी से होती है। आमुख में व्यक्त किए गए शब्दों से संविधान की आत्मा की अनुभूति होती है।

3.1 प्रस्तावना (आमुख) का महत्व

आमुख राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा नागरिकों के बीच बंधुत्व की उच्च भावनाओं और आदर्शों का प्रतिबिंब है। आमुख को महान आदर्शों और उद्देश्यों का सुदृढ़ आधार प्राप्त है।

3.2 लोकतंत्र

भारतीय संविधान में भारत की जनता को सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता प्रदान की गई है। यहाँ किसी एक व्यक्ति या वर्ग का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित है। भारत की लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को स्वीकार करती है तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहेगी—इस बात का स्पष्ट उल्लेख आमुख में किया गया है।

संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान कर उन पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है।

3.3 समाजवाद

भारत में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आमुख में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की अधिकांश व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष उद्देश्य सामाजिक क्रांति के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

3.4 धर्मनिरपेक्षता

वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा आमुख में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सम्मिलित किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा गैर-सांप्रदायिक राज्य है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत किसी भी धर्म-आधारित राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही किसी विशेष धार्मिक गतिविधि को समर्थन प्रदान करेगा।

देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मौलिक तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य गुण माना जाता है।

4. संविधान के मूलभूत लक्षण

4.1 लिखित दस्तावेज

ब्रिटेन और इज़राइल के अपवाद को छोड़कर भारत सहित विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान लिखित रूप में हैं। भारत की सामाजिक, भौगोलिक विविध परिस्थितियों तथा पूर्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को लिखित रूप में तैयार करने का निर्णय लिया। लिखित संविधान होने से शासन व्यवस्था में स्पष्टता और स्थायित्व बना रहता है।

4.2 संविधान का आकार

भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग, लगभग 448 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इस संविधान में केंद्र और राज्यों की शासन-व्यवस्था तथा उनके पारस्परिक संबंधों, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं तथा अल्पसंख्यकों, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी कारण भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में अधिक लंबा और विस्तृत है।

4.3 एकल नागरिकता

अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि भारत में किसी भी राज्य में निवास करने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता, अर्थात् भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है।

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

4.4 मजबूत केंद्र वाला संघीय ढाँचा

संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत एक संघीय राज्य है। 'संघ' शब्द द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच स्थायी और अटूट संबंधों को संविधान में स्पष्ट किया गया है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान में तीन सूचियाँ निर्धारित की गई हैं—

(1) संघ सूची (2) राज्य सूची (3) समवर्ती सूची

4.5 आपातकाल में एकात्मक व्यवस्था

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है—

युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल।

राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता की स्थिति में राज्य आपातकाल।

लगातार मूल्यवृद्धि के कारण वित्तीय अस्थिरता होने पर वित्तीय आपातकाल।

4.6 द्विसदनीय व्यवस्था

लोकसभा का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से होता है। लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता लोकसभा में निहित होती है। संसद के दो सदन होते हैं—उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल के नाम से शासन चलता है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल और राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के पास होती है।

4.7 स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसकी सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय एवं विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।

4.8 संविधान संशोधन

भारतीय संविधान अन्य देशों के संविधानों की तुलना में अधिक लचीला और परिवर्तनशील है। समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

4.9 मूलभूत अधिकार और कर्तव्य

भारत के नागरिक एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गरिमामय जीवन जी सकें, इसके लिए संविधान में उन्हें मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा साथ ही उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।

4.10 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए भी प्रयास करे। नीति निर्माण और शासन संचालन के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

5 संविधान, सामाजिक न्याय और भारत : बाबा साहेब अंबेडकर का विचार-दर्शन

5.1. संविधान : सामाजिक परिवर्तन का साधन

डॉ. अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था, असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान एक शक्तिशाली औज़ार है। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब सामाजिक और आर्थिक समानता भी सुनिश्चित हो।

5.2 लोकतंत्र की मजबूत नींव

वे लोकतंत्र को केवल शासन-प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन-पद्धति मानते थे।

उनके शब्दों में—

“लोकतंत्र का अर्थ केवल मत देने का अधिकार नहीं, बल्कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना है।”

5.3 मौलिक अधिकारों पर विशेष बल

डॉ. अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा माना।

उन्होंने कहा कि यदि राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो नागरिकों को संवैधानिक उपायों के माध्यम से न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए।

5.4 कानून का शासन

उनकी सोच थी कि भारत में शासन व्यक्तियों के नहीं, कानून के अनुसार चले।

कोई भी व्यक्ति—चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो—कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।

Samvid Multidisciplinary Research Journal
Where researchers meet their destiny...
ISSN 2582-015X

5.5 अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा

डॉ. अंबेडकर का मानना था कि संविधान की सफलता इस बात में है कि वह दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कितनी सुरक्षा और सम्मान देता है।
इसी सोच के कारण उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिलाई।

5.6 संविधान का लचीला स्वरूप

वे संविधान को न तो बहुत कठोर और न ही बहुत लचीला बनाना चाहते थे।
उनकी सोच थी कि समय के साथ समाज बदलेगा, इसलिए संविधान में संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए।

8.निष्कर्ष

यह शोधपत्र स्पष्ट करता है कि भारतीय संविधान केवल शासन का कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और न्याय का सशक्त माध्यम है। इसके निर्माण में प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल की परंपराओं व अनुभवों का समन्वय दिखाई देता है। आमुख में निहित लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य संविधान की आत्मा हैं। संविधान के मूलभूत लक्षण भारत की एकता, स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर का विचार-दर्शन सामाजिक समानता, कानून के शासन और कमजोर वर्गों के संरक्षण पर आधारित है, जो संविधान को एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज बनाता है।

संदर्भ सूची

1. अंबेडकर, डॉ. भीमराव —भारत का संविधान भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 1950
2. भारत सरकार —भारत का संविधान (संशोधित संस्करण) प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2023
3. कौटिल्य —अर्थशास्त्र चौखंबा प्रकाशन, वाराणसी, 2005।
4. नायर, वी.पी. —भारतीय लोकतंत्र और संविधान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011
5. शर्मा, बी.एल. —भारतीय संविधान का विकास सुल्तान चंद एंड सन्स, नई दिल्ली, 2008
6. मुंशी, के.एम. —पिलग्रिमेज टू फ्रीडम भारतीय विद्या भवन, मुंबई, 1967